



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 03 अलग-अलग मामलों में कुल 07 अभियुक्तों को कारावास व कुल 7500 रुपए जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 03 अलग-अलग मामलों में कुल 07 अभियुक्तों को कारावास व कुल 7500 रुपए जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

पंजीकृत अभियोग-

1. थाना पैलानी में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 29/06 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त राजू सिंह पुत्र रामलाल सिंह निवासी अलौना थाना पैलानी जनपद बांदा को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 3000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना बबेरु में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-242/2008 धारा 427/504/506 भादवि के 03 अभियुक्तों 1. प्रभाकर पुत्र रामआसरे 2. संतोष कुमार मिश्रा पुत्र प्रभाकर मिश्रा व 3. रजुवा पुत्र सुखा उर्फ रामेश्वर निवासीगण साथी थाना बबेरु जनपद बांदा को कुल 3000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना कमासिन में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-139/2009 धारा 323/504/506 भादवि के 03 अभियुक्तों 1. लाला यादव 2. भूरा यादव व 3. सुरेश यादव पुत्रगण रामासरे यादव निवासीगण राछा थाना कमासिन जनपद बांदा को कुल 1500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।